कार्यालय– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), झारखण्ड, राँची– 2

पत्रांकः–   दिनांक–

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
झारखण्ड, राँची–2

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जानेवाली ''वन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण योजना'' (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए **66.092 *लाख रु० का*** स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

सूचित करना है कि विभाग में विभिन्न स्तर पर कार्य कुशलता में वृद्धि लाने के लिए अधिकारियो के लिए कार्यालय, आवास तथा वन विश्रामागारों की मरम्मति एवं सुसज्जीकरण करने का तथा विभाग में कार्यरत सभी दैनिक मजदूरों की मजदूरी देना तथा राज्य की राजधानी बनने के उपरांत सरकारी जमीनों के अतिक्रमण को रोकने हेतु चाहरदिवारी बनाना इस योजना का मुख्य उद्वेश्य है ।

2. इस योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में फॉरेस्ट कॉलनी सिमडेगा का चाहरदिवारी निर्माण 380 मीटर, महिलौंग में फॉरेस्ट कॉलनी जप्त वन पदार्थ की सुरक्षा हेतु 3450 फीट चाहरदिवारी का निर्माण, सिल्ली वन परिसर एवं जप्त वन पदार्थ की सुरक्षा हेतु 500 फीट, बेड़ो वन परिसर एवं जप्त वन पदार्थ की सुरक्षा हेतु 720 फीट चाहरदिवारी का निर्माण, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के बंगला का विशेष मरम्मति, अपर प्रधान मुख्य वन विकास के बंगला का विशेष मरम्मति, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आवास का चाहरदिवारी का निर्माण का प्रस्ताव है । उक्त प्रस्तावित कार्य करना अति आवष्यक है क्योंकि बराबर वन भूमि का अतिक्रमण होने की संभावना बनी रहती है। चाहरदिवारी का निर्माण होने से जप्त वन पदार्थों की सुरक्षा एवं वन भूमि का अतिक्रमण नहीं होगा। प्रस्तावित कार्य लघु निर्माण कार्य इकाई के अंतर्गत किया जायेगा । प्रस्तावित योजना की कार्य विवरणी अनु0–1 पर द्रष्टव्य है ।

3. इस योजना लिए बजट मुख्य शीर्ष– 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, जनजातीय उपयोजना, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष– 15– इन्टेसीफीकेशन ऑफ मैनेजमैंट" के अन्तर्गत 1021.237 लाख रू0 की राशि उपबंधित है, जिसकी इकाईवार विवरणी निम्नवत है :–

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	बजट शीर्ष (इकाई)	बजट उपबंध
1	मजदूरी	411.658
2	आपूर्ति एवं सामग्री	319.579
3	मशीनरी एवं उपकरण	34.000
4	व्यावसायिक सेवाएं	15.000
5	लघु निर्माण कार्य	237.000
6	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	4.000
	कुल योग :–	**1021.237**

(योजना बजट पृष्ट सं0– 144 के अनुसार)

4. इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित एवं वर्त्तमान में लागू कार्य दर के आधार पर तैयार किए गए है एवं मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा निर्धारित वर्त्तमान में लागू दर के आधार पर तैयार किया गया है ।

5. वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजनान्तर्गत सी0ओ0बी0टी0 में प्रस्तावित एवं मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकृत कार्यों को सम्मिलित किया गया है।

6. इस योजना लिए बजट मुख्य शीर्ष– 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, जनजातीय उपयोजना, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना एवं उप शीर्ष– 15– इन्टेसीफीकेशन ऑफ मैनेजमैंट" के अन्तर्गत बजट उपबंध 1021.237 में से शेष राषि 128.125 लाख रू0 में से प्रस्तावित कार्यों के लिए **66. 092 लाख रू०** की योजना समर्पित की जा रही है, जो निम्नलिखित प्राथमिक इकाईयों में विकलनीय होगी ।

क्र0 सं0	प्रार्थमिक इकाईयां	(रू० लाख में)
क)	लघु निर्माण कार्य	66.092
कुल :–		**66.092**

7. इस योजना के समर्पण के उपरांत बजट उपबंध के अनुसार उपलब्ध शेष राशि प्राथमिक इकाईवार निम्नलिखित है :–

(रू0 लाख में)

प्राथमिक इकाईयां	बजट उपबंध	पूर्व में समर्पित योजना प्राथमिक इकाईवार	पूर्व में समर्पित की जा रही योजना	इस प्रकार वर्त्तमान योजना के सूत्रण के पूर्व अबतक समर्पित की गई योजना	बजट उपबंध के अनुसार प्राथमिक इकाईवार पुर्नविनियोग के उपरान्त योजना सूत्रण के लिए उपलब्ध शेष राशि	वर्त्तमान प्रस्ताव के उपरांत भविष्य में योजना सूत्रण के लिए इकाईवार उपलब्ध राषि
मजदूरी	411.658	196.229	131.180	327.409	31.505	31.505
आपूर्ति एवं सामग्री	319.579	137.382	294.191	431.573	0.000	0.000
मशीनरी एवं उपकरण	34.000	0.000	20.508	20.508	13.492	13.492
व्यावसायिक सेवाएं	15.000	0.000	0.000	0.000	15.000	15.000
लघु निर्माण कार्य	237.000	109.622	0.000	109.622	68.128	2.036
मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	4.000	0.000	4.000	4.000	0.000	0.000
कुल :–	**1021.237**	**443.233**	**449.879**	**893.112**	**128.125**	**62.033**

8. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जाने वाली कार्य क्षेत्रों के प्रस्तावित योजना हेतु अनुलग्नक–1 में वर्णित पदाधिकारी अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्यों के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

अतः अनुरोध है कि योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा करें ।

आपका विश्वासी,

अनुलंग्नक : यथोक्त ।

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
झारखण्ड, राची–2

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/मुख्य वन संरक्षक, विकास, जनजातीय क्षेत्र, झारखण्ड/वन संरक्षक, योजना अंचल, रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
झारखण्ड, रॉची–2